लोक शिक्षण संचालनालय
छत्तीसगढ़

विस्तृत विज्ञापन

छत्तीसगढ़ शासन, स्कूल शिक्षा विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर के पत्र क्रमांक एफ 5–55(ए)/2022/20–तीन, नवा रायपुर, दिनांक 21/03/2025 के अनुक्रम में लोक शिक्षण संचालनालय, छत्तीसगढ़ के पत्र क्रमांक/ESTB-101(2)/52/2025/258 अटल नगर, दिनांक 16/11/2026 द्वारा स्पेशल एजुकेटर के 38 पदों पर सीधी भर्ती हेतु संक्षिप्त विज्ञापन जारी किया गया है। स्पेशल एजुकेटर के पदों पर भर्ती हेतु विज्ञापित पदों की आवश्यक शैक्षणिक अर्हताएँ, आयु सीमा, आरक्षण एवं आवेदन की विधि एवं अन्य महत्वपूर्ण निर्देश निम्नानुसार है :–

स्पेशल एजुकेटर (प्राथमिक) अराजपत्रित तृतीय श्रेणी (वेतन मेट्रिक्स लेवल–06)

क्र.	जिले का नाम	कुल रिक्तियों की वर्गवार संख्या				कुल रिक्तियों की वर्गवार संख्या में से केवल छत्तीसगढ़ के स्थानीय निवासी महिलाओं के लिए आरक्षित पद				कुल रिक्तियों की वर्गवार संख्या में से केवल छत्तीसगढ़ के भूतपूर्व सैनिकों के लिए आरक्षित पद				कुल रिक्तियों की वर्गवार संख्या में से छत्तीसगढ़ के स्थानीय निवासी दिव्यांगजनों के लिए आरक्षित पद				योग
		अनारक्षित	अजा	अजजा	अपिव	अनारक्षित	अजा	अजजा	अपिव	अनारक्षित	अजा	अजजा	अपिव	समूह 'क' (VI)	समूह 'ख' (HI)	समूह 'ग' (OI)	समूह 'घ' एवं 'ङ' (MD)	
1	महासमुंद	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**1**
2	गरियाबंद	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**1**
3	रायपुर	4	1	2	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**8**
4	धमतरी	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**1**
5	बेमेतरा	2	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**3**
6	दुर्ग	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**1**
7	बालोद	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**1**
8	राजनांदगांव	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**1**
9	बिलासपुर	-	1	2	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**4**
10	मुंगेली	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**2**
11	जांजगीर चांपा	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**1**
12	रायगढ़	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**1**
13	गौरेला पेण्ड्रा	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**1**

	मरवाही																	
14	दंतेवाड़ा	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**1**
15	बीजापुर	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**1**
16	सूरजपुर	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**1**
योग																		**29**

स्पेशल एजुकेटर (उच्च प्राथमिक) अराजपत्रित तृतीय श्रेणी (वेतन मेट्रिक्स लेवल–08)

क्र.	संभाग	कुल रिक्तियों की वर्गवार संख्या				कुल रिक्तियों की वर्गवार संख्या में से केवल छत्तीसगढ़ के स्थानीय निवासी महिलाओं के लिए आरक्षित पद				कुल रिक्तियों की वर्गवार संख्या में से केवल छत्तीसगढ़ भूतपूर्व सैनिकों के लिए आरक्षित पद				कुल रिक्तियों की वर्गवार संख्या में से छत्तीसगढ़ के स्थानीय निवासी दिव्यांगजनों के लिए आरक्षित पद				योग
		अनारक्षित	अजा	अजजा	अपिव	अनारक्षित	अजा	अजजा	अपिव	अनारक्षित	अजा	अजजा	अपिव	समूह 'क' (VI)	समूह 'ख' (HI)	समूह 'ग' (OI)	समूह 'घ' एवं 'ङ' (MD)	
1	रायपुर	1	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**3**
2	बिलासपुर	1	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**3**
3	सरगुजा	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**2**
4	बस्तर	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**1**
योग																		**9**

1. **सीधी भर्ती के लिये पात्रता की शर्तें :–** सीधी भर्ती में पात्र होने के लिये अभ्यर्थी को, निम्नलिखित शर्तें पूरी करनी होंगी, अर्थात् :–

(एक) आयु:–

(i) 01 जनवरी, 2026 को न्यूनतम आयु 21 वर्ष पूरी कर ली हो तथा 35 वर्ष की आयु पूरी न की हो।

(ii) यदि अभ्यर्थी छत्तीसगढ़ के अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों या अन्य पिछड़ा वर्गों (गैर–क्रीमीलेयर) का हो, तो उच्चतर आयु सीमा अधिकतम 5 वर्ष तक शिथिलनीय होगी ;

(iii) छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (महिलाओं की नियुक्ति के लिये विशेष उपबंध) नियम, 1997 के उपबंधों के अनुसार महिला अभ्यर्थियों के लिये, उच्चतर आयु सीमा अधिकतम 10 वर्ष तक शिथिलनीय होगी।

(iv) दिव्यांगजन व्यक्तियों को सामान्य प्रशासन विभाग के निर्देशों के अनुसार अधिकतम आयु सीमा में छूट दी जायेगी।

(v) ऐसे अभ्यर्थियों के संबंध में भी, जो छत्तीसगढ़ शासन के कर्मचारी हो या रह चुके हों, नीचे विनिर्दिष्ट की गई सीमा तथा शर्तों के अध्यधीन रहते हुए, उच्चतर आयु सीमा शिथिलनीय होगीः–

(एक) ऐसा अभ्यर्थी, जो स्थायी या अस्थायी शासकीय सेवक हो, 38 वर्ष से अधिक आयु का नहीं होना चाहिए ;

(दो) ऐसा अभ्यर्थी, जो अस्थायी रूप से पद धारण कर रहा हो और किसी अन्य पद के लिये आवेदन कर रहा हो, 38 वर्ष से अधिक आयु का नहीं होना चाहिए। यह रियायत, कार्यभारित कर्मचारियों, आकस्मिकता निधि से वेतन पाने वाले कर्मचारियों तथा परियोजना कार्यान्वयक समितियों में कार्यरत कर्मचारियों को भी अनुज्ञेय होगी;

(तीन) ऐसा अभ्यर्थी, जो ''छंटनी किया गया शासकीय सेवक'' हो, उसे अपनी आयु में से उसके द्वारा पूर्व में की गई संपूर्ण अस्थायी सेवा की अधिकतम 7 वर्ष तक की कालावधि, भले ही वह कालावधि 1 से अधिक बार की गई सेवाओं का योग हो, कम करने के लिये अनुज्ञात किया जायेगा,

परन्तु इसके परिणाम स्वरूप जो आयु निकले, वह उच्चतर आयु सीमा से 3 वर्ष से अधिक न हो।

स्पष्टीकरण:– ''छंटनी किया गया शासकीय सेवक'' से अभिप्रेत है, ऐसा व्यक्ति जो इस राज्य की अथवा किन्हीं भी संघटक इकाईयों की अस्थायी शासकीय सेवा में कम से कम 6 माह की कालावधि तक निरन्तर रहा हो और जिसे किसी भी रोजगार कार्यालय में अपना पंजीयन कराने या शासकीय सेवा में नियोजन हेतु अन्यथा आवेदन करने की तारीख से अधिक से अधिक 3 वर्ष पूर्व स्थापना में कमी किये जाने के कारण सेवामुक्त किया गया हो।

(vi) अस्पृश्यता निवारण नियम, 1984 के अधीन अंतर्जातीय विवाह प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत पुरस्कृत दम्पत्तियों के सवर्ण पति/पत्नि के संबंध में उच्चतर आयु सीमा 5 वर्ष तक शिथिलनीय होगी।

(vii) शहीद राजीव पाण्डे पुरस्कार, गुण्डाधुर सम्मान, महाराजा प्रवीरचंद भंजदेव सम्मान तथा राष्ट्रीय युवा पुरस्कार प्राप्त अभ्यर्थियों के संबंध में भी, उच्चतर आयु सीमा 5 वर्ष तक शिथिलनीय होगी।

(viii) ऐसे अभ्यर्थी, जो छत्तीसगढ़ राज्य निगम/मण्डल के कर्मचारी हैं, के संबंध में उच्चतर आयु सीमा 38 वर्ष की आयु तक शिथिलनीय होगी।

(ix) स्वयंसेवी नगर सैनिकों एवं नगर सेना के नान कमीशंड अधिकारियों के संबंध में उनके द्वारा पूर्व में इस प्रकार की गई नगर सेना सेवा की कालावधि के लिये उच्चतर आयु सीमा में 8 वर्ष की सीमा के अध्यधीन रहते हुए छूट दी जाएगी, किन्तु किसी भी दशा में उनकी आयु 38 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए।

टीप– (1) ऐसे अभ्यर्थी, जिन्हें उपरोक्त नियम के खण्ड (एक) के उप–खण्ड (ङ) के पैरा (एक) तथा (दो) में उल्लिखित आयु संबंधी रियायतों के अधीन परीक्षा/चयन में प्रवेश दिया गया हो, यदि वे आवेदन पत्र प्रस्तुत करने के पश्चात, या तो परीक्षा/चयन के पूर्व या उसके पश्चात, सेवा से त्यागपत्र देते हैं, तो वे नियुक्ति हेतु पात्र नहीं होंगे। तथापि, यदि आवेदन पत्र भेजने के पश्चात सेवा या पद से उनकी छंटनी कर दी जाती हो, तो वे पात्र बने रहेंगे।

(2) किसी भी अन्य मामले में आयु सीमा शिथिल नहीं की जायेगी। विभागीय अभ्यर्थियों के चयन हेतु उपस्थित होने के लिए, नियुक्ति प्राधिकारी की पूर्व अनुमति अभिप्राप्त करनी होगी।

(x) उपरोक्त संवर्गों के किसी एक या एक से अधिक आधार पर छूट प्राप्त करने के उपरांत, शासकीय सेवा में प्रवेश के लिए अधिकतम आयु 45 वर्ष से अधिक नहीं होगी।

(xi) उपरोक्त के अतिरिक्त आयु सीमा के संबंध में, शासन के सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा समय–समय पर जारी निर्देश भी लागू होंगे।

2. **न्यूनतम शैक्षणिक अर्हताएँः–** अभ्यर्थी के पास सेवा के लिये निम्नानुसार न्यूनतम शैक्षणिक अर्हताएं होना आवश्यक हैः–

(1) स्पेशल एजुकेटर (प्राथमिक)

(क) भारतीय पुनर्वास परिषद्, नई दिल्ली द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थान से डी.एड. स्पेशल एजुकेशन उत्तीर्ण अथवा इसके समकक्ष एवं भारतीय पुनर्वास परिषद् में पंजीकृत।

तथा

(ख) राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद द्वारा इस प्रयोजन के लिए निर्मित मार्गदर्शी सिद्धांतों के अनुसार, समुचित सरकार द्वारा आयोजित अध्यापक पात्रता परीक्षा(टी.ई.टी.) में उत्तीर्ण हों।

(2) स्पेशल एजुकेटर (उच्च प्राथमिक)

(क) भारतीय पुनर्वास परिषद्, नई दिल्ली द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थान से बी.एड. स्पेशल एजुकेशन उत्तीर्ण अथवा इसके समकक्ष एवं भारतीय पुनर्वास परिषद् में पंजीकृत।

तथा

(ख) राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद द्वारा इस प्रयोजन के लिए निर्मित मार्गदर्शी सिद्धांतों के अनुसार, समुचित सरकार द्वारा आयोजित अध्यापक पात्रता परीक्षा (टी.ई.टी) में उत्तीर्ण हों।

3. **निरर्हताएं :–**

(i) अभ्यर्थी की ओर से अपनी अभ्यर्थिता के लिए किन्ही भी साधनों से समर्थन अभिप्राप्त करने के किसी भी प्रयास को, नियुक्तिकर्ता द्वारा चयन के लिए निरर्हित माना जा सकेगा।

(ii) कोई भी पुरूष अभ्यर्थी, जिनकी एक से अधिक पत्नियां जीवित हों और कोई भी महिला अभ्यर्थी, जिसने ऐसे पुरूष से विवाह किया हो जिसकी पहले ही एक पत्नी जीवित हो, किसी सेवा या पद में नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगा/ होगी :

परन्तु यदि शासन को यह समाधान हो जाये कि ऐसा करने के विशेष कारण है, तो शासन, ऐसे अभ्यर्थियों को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगा।

(iii) कोई भी अभ्यर्थी, किसी सेवा या पद पर तब तक नियुक्त नहीं किया जाएगा जब तक कि उसे ऐसी स्वास्थ्य परीक्षा में, जो कि विहित की जाए, मानसिक या शारीरिक रूप से स्वस्थ तथा किसी मानसिक या शारीरिक दोष जो किसी सेवा या पद के कर्तव्य को पूरा करने में बाधा डाल सकता हो से मुक्त घोषित न कर दिया जाये :

परन्तु आपवादिक मामलों में अभ्यर्थी को उसकी स्वास्थ्य परीक्षा के पूर्व किसी सेवा या पद पर इस शर्त के अधीन अस्थायी नियुक्ति दी जा सकेगी कि यदि वह चिकित्सीय रूप से अस्वस्थ्य पाया जाता है, तो उसकी सेवाएं तत्काल समाप्त की जा सकेंगी।

(iv) कोई भी अभ्यर्थी, किसी सेवा या पद के लिए उस स्थिति में पात्र नहीं होगा, यदि नियुक्ति प्राधिकारी का, ऐसी सम्यक् जांच, जैसा कि वह आवश्यक समझें, के पश्चात् यह समाधान हो जाये कि वह (अभ्यर्थी) ऐसी सेवा या पद के लिए उपयुक्त नहीं है।

(v) कोई भी अभ्यर्थी, जिसे महिलाओं के विरूद्ध किसी अपराध का सिद्ध दोष ठहराया गया हो, किसी सेवा या पद के लिए पात्र नहीं होगा :

परन्तु यदि किसी अभ्यर्थी के विरूद्ध न्यायालय में ऐसे मामले लंबित हों, तो उसकी नियुक्ति का मामला तब तक लंबित रखा जायेगा जब तक कि उस आपराधिक मामले का न्यायालय द्वारा अंतिम विनिश्चय न कर दिया जाये।

(vi) कोई भी अभ्यर्थी, जिसने विवाह के लिए नियत की गई न्यूनतम आयु से पूर्व विवाह कर लिया हो, किसी सेवा या पद लिए पात्र नहीं होगा।

(vii) छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (सेवा की सामान्य शर्ते) नियम, 1961 में दिये गये प्रावधान एवं शासन द्वारा समय–समय पर जारी किये गये निर्देशों के अनुसार निरर्हताएँ, अभ्यर्थियों के लिये लागू होंगी।

(viii) चयनित अभ्यर्थी का चरित्र सत्यापन अर्थात पुलिस प्रमाणीकरण की विधिवत कार्यवाही के अध्यधीन होगा।

4. अभ्यर्थी की पात्रता के बारे में नियुक्तिकर्ता प्राधिकारी का विनिश्चय अंतिम होगा :–

(i) चयन के लिये अभ्यर्थी की पात्रता अथवा अन्यथा के संबंध में नियुक्तिकर्ता प्राधिकारी का विनिश्चय अंतिम होगा तथा ऐसे किसी भी अभ्यर्थी को, जिसे परीक्षा हेतु प्रवेश प्रमाण–पत्र जारी नहीं किया गया हो, परीक्षा में शामिल होने के लिए अनुज्ञात नहीं किया जायेगा।

(ii) चयन प्रक्रिया के किसी समय पर अथवा नियुक्तिकर्ता प्राधिकारी को चयन सूची भेजने के बाद भी, यदि नियुक्तिकर्ता प्राधिकारी के संज्ञान में यह तथ्य आता है कि अभ्यर्थी ने असत्य जानकारी दी है अथवा उसके द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों में

कोई विसंगति पायी गई है, तो वह निरर्हित हो जायेगा एवं उसका चयन/नियुक्ति, नियुक्तिकर्ता प्राधिकारी द्वारा समाप्त कर दी जायेगी।

5. पदों हेतु आरक्षण :–

(i) सेवा में भर्ती के समय, छत्तीसगढ लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण) अधिनियम 1994 (क्र. 21 सन् 1994) के उपबंध तथा उक्त अधिनियम के अधीन, शासन के सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा समय–समय पर जारी निर्देश भी लागू होंगे।

(ii) छत्तीसगढ सिविल सेवा (महिलाओं की नियुक्ति के लिए विशेष उपबंध) नियम, 1997 के उपबंध के अनुसार महिला अभ्यर्थियों के लिये 30 प्रतिशत पद आरक्षित रखे जायेंगे। यह आरक्षण समस्तर और प्रभागवार होगा। नियम के उपबंध के अध्यधीन रहते हुए, नियुक्तियों में विधवा अथवा तलाकशुदा महिला अभ्यर्थियों को अधिमान दिया जायेगा।

(iii) उपरोक्त के अतिरिक्त, दिव्यांगजन/भूतपूर्व सैनिक के लिए पदों को, शासन द्वारा समय–समय पर बनाये गये अधिनियम/नियम/जारी आदेश/निर्देश के अनुसार आरक्षित रखा जायेगा। दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 (2016 का सं. 49) एवं इसके तहत बनाए गए नियम 2019 के प्रावधानों के अंतर्गत राज्य में लागू प्रतिशत के अनुसार पदों का आरक्षण, 7 प्रतिशत रहेगा।

(iv) छ.ग. शासन, सामान्य प्रशासन विभाग के पत्र क्रमांक एफ 13–4/2019/आ.प्र./1–3, रायपुर, दिनांक 05.03.2019 के बिंदु क्रमांक 03 निःशक्तता का समूह के लिये निर्धारित आरक्षण प्रतिशत के अनुसार रहेगा।

6. आवेदन की विधि :–

(i) आवेदनकर्ता निर्धारित प्रारूप में अपना आवेदन पत्र राज्य के निम्न संभागीय **संयुक्त संचालक** कार्यालयों, **शिक्षा संभाग – रायपुर/ बिलासपुर/दुर्ग/बस्तर/ सरगुजा में से किसी एक संभागीय कार्यालय** में पंजीकृत डाक से अथवा व्यक्तिगत तौर पर दिनांक 20.11.2026 से 04.12.2026 तक जमा कर सकेंगे।

(ii) आवेदकों को प्रत्येक जिले अथवा संभाग में विज्ञापित पद के विरूद्ध पृथक–पृथक आवेदन करने की आवश्यकता नहीं है। एक ही आवेदन पत्र सभी जिलों/संभाग में विज्ञापित रिक्तियों के लिये मान्य किये जायेगें।

(iii) स्पेशल एजुकेटर (प्राथमिक) एवं स्पेशल एजुकेटर (उच्च प्राथमिक) हेतु पृथक–पृथक आवेदन पत्र प्रस्तुत करना होगा। लिफाफे के ऊपर आवेदित पद का स्पष्ट उल्लेख करना होगा।

(iv) डाक से प्रेषित आवेदन विलम्ब से प्राप्त होने पर विभाग जिम्मेदार नहीं होगा।

(v) आवेदन पत्र का प्रारूप **परिशिष्ट – 01** एवं **परिशिष्ट – 02** अनुसार स्वीकार्य होगा :–

स्पेशल एजुकेटर (प्राथमिक) पद हेतु – परिशिष्ट – 01
एवं
स्पेशल एजुकेटर (उच्च प्राथमिक) पद हेतु – परिशिष्ट – 02

(vi) आवेदनकर्ता के पास उनकी बी.एड./डी.एड. (स्पेशल एजुकेशन) का भारतीय पुनर्वास परिषद, नई दिल्ली में जीवित पंजीयन दिनांक 04 दिसम्बर, 2026 की स्थिति में होना अनिवार्य है। आवेदक का भारतीय पुनर्वास परिषद, नई दिल्ली में जीवित पंजीयन नहीं होने अथवा टी.ई.टी. उत्तीर्ण प्रमाण पत्र नहीं होने पर आवेदन प्रथम दृष्टया अमान्य कर दिया जायेगा।

(vii) अमान्य किये गये आवेदनों को मेरिट तैयार करने की प्रक्रिया में शामिल नहीं किया जायेगा।

(viii) विज्ञापित पदों के आवेदनकर्ता के पास निम्नलिखित दस्तावेजों का होना अनिवार्य हैः–

क्र.	आवेदित पद का नाम	अनिवार्य दस्तावेज
01	स्पेशल एजुकेटर (प्राथमिक)	1. हाई स्कूल परीक्षा प्रमाण पत्र। 2. हायर सेकेण्डरी परीक्षा अंकसूची 3. डी.एड. स्पेशल एजुकेशन अंकसूची 4. टी.ई.टी. उत्तीर्ण प्रमाण पत्र (प्राथमिक स्तर) 5. भारतीय पुनर्वास परिषद, नई दिल्ली का जीवित पंजीयन प्रमाण पत्र 6. जाति प्रमाण पत्र (लागू होने पर) 7. छ.ग.स्थानीय निवास प्रमाण पत्र 8. अन्य पिछड़ा वर्ग के गैर क्रीमीलेयर के अभ्यर्थियों हेतु आय प्रमाण पत्र 9. दिव्यांगता प्रमाण पत्र (लागू होने पर) 10. आधार पहचान पत्र
02	स्पेशल एजुकेटर (उच्च प्राथमिक)	1. हाईस्कूल परीक्षा प्रमाण पत्र 2. हायर सेकेण्डरी परीक्षा अंकसूची 3. स्नातक परीक्षा उत्तीर्ण अंकसूची 4. बी.एड. स्पेशल एजुकेशन अंकसूची 5. टी.ई.टी. उत्तीर्ण प्रमाण पत्र (उच्च प्राथमिक स्तर) 6. भारतीय पुनर्वास परिषद, नई दिल्ली का जीवित पंजीयन प्रमाण पत्र 7. जाति प्रमाण पत्र (लागू होने पर) 8. छ.ग.स्थानीय निवास प्रमाण पत्र 9. अन्य पिछड़ा वर्ग के गैर क्रीमीलेयर के अभ्यर्थियों हेतु आय प्रमाण पत्र 10. दिव्यांगता प्रमाण पत्र (लागू होने पर) 11. आधार पहचान पत्र

7. चयन प्रक्रिया :–

(i) चयन हेतु भर्ती परीक्षा का आयोजन नहीं किया जायेगा अपितु आवेदित पद के लिये अभ्यर्थियों द्वारा उनके निर्धारित अर्हतादायी परीक्षाओं एवं अन्य परीक्षाओं में प्राप्तांको के आधार पर वेजेट (Weightage) देते हुये मेरिट सूची तैयार की जायेगी। वेजेट (Weightage) देने की प्रविधि निम्नानुसार है :–

सरल क्रमांक	विज्ञापित पद का नाम	अर्हतादायी परीक्षाओं के लिये वेटेज का निर्धारण				
		हॉयर सेकण्डरी परीक्षा का प्राप्तांक	स्नातक परीक्षा का प्राप्तांक	डी.एड. (स्पेशल एजुकेशन) का प्राप्तांक	बी.एड. (स्पेशल एजुकेशन) का प्राप्तांक	वेटेज उपरांत कुल प्राप्तांक
1	स्पेशल एजुकेटर (प्राथमिक)	60%	-	40%	-	
2	स्पेशल एजुकेटर (उच्च प्राथमिक)	20%	50%	-	30%	

(ii) प्रत्येक श्रेणी में विज्ञापित पद के विरूद्ध 02 गुणा अभ्यर्थियों की मेरिट सूची तैयार की जायेगी एवं इन्हें दस्तावेज परीक्षण का अवसर दिया जायेगा।

(iii) दस्तावेज सत्यापन में पात्र अभ्यर्थियों के मेरिट क्रमानुसार चयन की सूची तैयार की जायेगी एवं नियोक्ता प्राधिकारियों द्वारा चयनित अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र जारी किया जायेगा।

(iv) मेरिट क्रमानुसार 25 प्रतिशत अभ्यर्थियों को शामिल करते हुये प्रतीक्षा सूची तैयार की जायेगी।

(v) नियोक्ता प्राधिकारी द्वारा जारी चयन सूची की वैधता विभागीय भर्ती तथा पदोन्नति नियम की कण्डिका 12 अनुसार रहेगी।

(vi) छ.ग. सिविल सेवा (सेवा की सामान्य शर्तें) नियम, 1961 के उपबंधों के अध्यधीन रहते हुये उपलब्ध रिक्तियों पर अभ्यर्थियों की नियुक्ति के लिये उसी क्रम में विचार किया जायेगा, जिस क्रम में उनके नाम सूची आये हो।

8. परिवीक्षा :–

(i) सेवा में सीधी भर्ती किया गया प्रत्येक व्यक्ति, 03 वर्ष की कालावधि के लिये परिवीक्षा पर नियुक्त किया जायेगा।

(ii) यदि कार्य असंतोषप्रद पाया जाता है, तो परिवीक्षा अवधि में, नियोक्ता प्राधिकारी द्वारा अधिकतम एक वर्ष तक की अवधि की वृद्धि की जा सकेगी।

(iii) परिवीक्षा अवधि की कालावधि या बढ़ाई गई अवधि के दौरान या परिवीक्षा अवधि के अंत में यदि शासन की राय में कोई विशिष्ट अभ्यर्थी, अधिकारी बनने के योग्य न हो, तो ऐसे परिवीक्षाधीन की सेवाएँ समाप्त की जा सकेंगी।

9. अन्य निर्देश :–

(i) पदों की संख्या परिवर्तनीय है।

(ii) पदों पर नियुक्तियां छत्तीसगढ़ स्कूल शिक्षा सेवा (शैक्षिक एवं प्रशासनिक संवर्ग) भर्ती तथा पदोन्नति नियम, 2026 यथा संशोधित अनुसार की जायेगी।

(iii) उपरोक्त विज्ञापित पदों के लिए की जाने वाली चयन उपरांत नियुक्ति, माननीय उच्चतम न्यायालय नई दिल्ली में दायर एस.एल.पी.(सी) क्रमांक 019668/2022 में पारित होने वाले अंतिम आदेश/निर्णय के अध्यधीन रहेगी।

(iv) आवेदन करने के पूर्व अभ्यर्थी नियम/निर्देशों का अवलोकन कर स्वयं सुनिश्चित कर लें कि वे आवेदित पद के लिये निर्धारित अर्हता धारण करते है अथवा नहीं। यदि कोई अभ्यर्थी आवेदन करने के बाद अनर्ह पाया जाता है अथवा उसके द्वारा दी गई कोई भी जानकारी गलत पायी जाती है तो उसकी अभ्यर्थिता/चयन/नियुक्ति अमान्य/निरस्त किया जा सकेगा।

(v) नियुक्त उम्मीदवारों को उनके पद नाम के सम्मुख अंकित वेतन मेट्रिक्स के साथ–साथ राज्य शासन द्वारा समय–समय पर प्रसारित आदेशों के अनुसार महंगाई भत्ता एवं अन्य भत्ते देय होंगे।

(vi) अभ्यर्थी को आवश्यक न्यूनतम शैक्षणिक अर्हता एवं अन्य प्रमाण पत्र आवेदन करने की अंतिम तिथि तक अथवा उसके पूर्व प्राप्त करना अनिवार्य है। उक्त तिथि के पश्चात् प्राप्त अर्हता प्रमाण पत्र मान्य नहीं होगे।

(vii) अभ्यर्थी को छत्तीसगढ राज्य के सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी स्थायी जाति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा अन्यथा विज्ञापन के तहत दर्शित छूट (आयु/आरक्षण) का लाभ प्राप्त नहीं होगा।

(viii) अभ्यर्थी के पास छत्तीसगढ़ राज्य का स्थानीय निवासी प्रमाण पत्र होना आवश्यक है।

(ix) आरक्षित श्रेणी के सभी विवाहित महिला अभ्यर्थियों को अपने नाम के साथ पिता के नाम अंकित जाति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य है, एवं तद्नुसार जाति प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं किये जाने पर इसे मान्य नहीं किया जाएगा।

(x) यदि कोई अभ्यर्थी छत्तीसगढ़ शासन के अधीन शासकीय विभाग/निगम/मण्डल/उपक्रम में कार्यरत हो अथवा भारत सरकार अथवा उनके

किसी उपक्रम की सेवा में कार्यरत हो या राष्ट्रीयकृत/अराष्ट्रीयकृत बैंक, निजी संस्थाओं अथवा किसी भी विश्वविद्यालय में कार्यरत हों तो उन्हें आवेदन पत्र में इसका उल्लेख करना होगा एवं दस्तावेज सत्यापन के समय वर्तमान नियुक्ति प्राधिकारी का अनापत्ति प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करना होगा।

(xi) युगल उपाधि, संयुक्त उपाधि, दोहरी उपाधि के संबंध में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा जारी अधिसूचना क्र.फ्रा.सं. 4–1/2022 (IC) दिनांक 02 मई 2022 एवं पत्र संख्या D.O. No. F.1-6/2007 (CPP-II)(Comp.No.108737), दिनांक 05 जून 2025 के अधीन होगी।

(xii) भर्ती प्रक्रिया संबंधी सूचनाएं एवं अन्य जानकारी स्कूल शिक्षा विभाग के वेबसाईट https://eduportal.cg.nic.in/ पर समय–समय पर जारी की जायेगी। अभ्यर्थी से अपेक्षित है कि वे नियमित रूप से विभाग के वेबसाईट का अवलोकन करते रहें।

संचालक
लोक शिक्षण छत्तीसगढ़

परिशिष्ट–एक

स्पेशल एजुकेटर (प्राथमिक) का आवेदन पत्र

सीधी भर्ती 2026

आवेदित पद का नाम													अभ्यर्थी पासपोर्ट साईज़ स्व हस्ताक्षरित नवीनतम फोटोग्राफ चस्पा करें
आवेदन जमा करने का माध्यम	व्यक्तिगत / पंजीकृत डाक से (✓चिन्ह लगाएँ)												
आवेदन जमा करने का पता	कार्यालय संभागीय संयुक्त संचालक, शिक्षा संभाग												
आधार नंबर													

अभ्यर्थी का व्यक्तिगत विवरण –

1	अभ्यर्थी का पूरा नाम (हिन्दी में)	
2	अभ्यर्थी का नाम (अंग्रेजी केपिटल लेटर में)	
3	पिता / पति का नाम (✓चिन्ह लगाएँ)	
4	जन्मतिथि–(जन्म प्रमाण पत्र अथवा हाई स्कूल अंकसूची अनुसार)	/ /
5	01 जनवरी 2026 को आयु–	वर्ष.....माह.....दिन.....
6	लिंग–(✓चिन्ह लगाएँ)	महिला / पुरुष / अन्य
7	जाति वर्ग–(अजा/अजजा/अपिव/अनारक्षित)	
8	स्थायी जाति प्रमाण पत्र क्रमांक– जारी दिनांक–	क्रमांक/ ..... जारी दिनांक .....
9	आय प्रमाण पत्र (अन्य.पि.व. नॉनक्रीमीलेयर हेतु)	क्रमांक/ ..... जारी दिनांक .....

10	बेंचमार्क दिव्यांगता–हॉ / नहीं यदि हॉ तो–	प्रकार..... प्रमाण पत्र क्रमांक ..... जारी दिनांक.....
11	निवास प्रमाण पत्र क्रमांक– जारी दिनांक–	क्रमांक / ..... जारी दिनांक .....
12	स्थायी पता	ग्राम / नगर.....तहसील..... ..... जिला.....राज्य .... पिन कोड .....
13	वर्तमान पत्र व्यवहार का पता	ग्राम / नगर.....तहसील..... जिला.....राज्य .... पिन कोड .....
14	अनापत्ति प्रमाण पत्र (शासकीय सेवारत अभ्यर्थियों हेतु नियुक्तिकर्ता प्राधिकारी द्वारा जारी)	क्रमांक– दिनांक– / /
	नियोक्ता विभाग का नाम – कार्यरत पदनाम –	....

अभ्यर्थी के शैक्षणिक / व्यावसायिक अर्हताओं का विवरण :–

15	**हॉयर सेकण्डरी स्कूल सर्टिफिकेट परीक्षा**		बोर्ड का नाम		
	उत्तीर्ण वर्ष	पूर्णांक	प्राप्तांक	प्रतिशत्	अंकसूची जारी दिनांक

16	**डी.एड. स्पेशल एजुकेशन पत्रोपाधि का विवरण निम्नानुसार है :–**				
	संस्था / विश्वविद्यालय का नाम –				
	डिप्लोमा का पूरा नाम :–				
	उत्तीर्ण वर्ष	पूर्णांक (सभी सेमेस्टर / वार्षिक परीक्षा का एग्रीगेट योग)	प्राप्तांक (सभी सेमेस्टर / वार्षिक परीक्षा का एग्रीगेट योग)	प्रतिशत्	अंकसूची जारी दिनांक
17	**भारतीय पुनर्वास परिषद् में पंजीयन की जानकारी निम्नानुसार है :–**				
	Registered Rehabitilation Qualification (plz give details as certificate) :-				
	CRR Number	Date Of Registration	Validity Date	Certificate issue or print date	
18	टी.ई.टी. (प्राथमिक स्तर) उत्तीर्ण प्रमाण पत्र				
	उत्तीर्ण वर्ष	प्रमाण पत्र जारी दिनांक	रोल नंबर	अध्यापन स्तर की पात्रता	
19	अभ्यर्थी का मोबाईल नम्बर				

संलग्न अभिलेखों की सूची (✓ चिन्ह लगाएँ) :–

a) हाईस्कूल परीक्षा प्रमाण पत्र
b) हायर सेकेण्डरी परीक्षा की अंकसूची
c) डी.एड. स्पेशल एजुकेशन / समकक्ष की अंकसूची

d) टी.ई.टी. (प्राथमिक स्तर) उत्तीर्ण प्रमाण पत्र

e) भारतीय पुनर्वास परिषद, नई दिल्ली का जीवित पंजीयन प्रमाण पत्र

f) जाति प्रमाण पत्र (लागू होने पर)

g) छ.ग.स्थानीय निवास प्रमाण पत्र

h) अन्य पिछड़ा वर्ग के गैर क्रीमीलेयर के अभ्यर्थियों हेतु आय प्रमाण पत्र

i) दिव्यांगता प्रमाण पत्र (लागू होने पर)

j) आधार की छायाप्रति

स्वघोषणा पत्र

मेरे द्वारा दी गई उपरोक्त सभी जानकारी एवं संलग्न स्वप्रमाणित दस्तावेज पूर्णतः सही एवं सत्य है। उपरोक्त विवरण में किसी भी प्रकार की विसंगती अथवा गलती पाये जाने पर मेरा/मेरी आवेदन/अभ्यर्थिता निरस्त की जा सकती है।

दिनांक– .....

स्थान– .....

आवेदक का हस्ताक्षर

नाम.....

आवेदन सत्यापनकर्ता की अभिस्वीकृति

(केवल कार्यालयीन उपयोग हेतु आवेदकों के लिये प्रविष्टी निषेध)

(1) स्पेशल एजुकेटर (प्राथमिक) पद के लिये अभ्यर्थी द्वारा प्रस्तुत अभिलेखों का मिलान एवं परीक्षण किया गया, जिसमें उनके आवेदन पत्र स्वीकार्य (Accept) करने योग्य पाया गया है।

(2) स्पेशल एजुकेटर (प्राथमिक) पद के लिये अभ्यर्थी द्वारा प्रस्तुत अभिलेखों का मिलान एवं परीक्षण किया गया, जिसमें उनके आवेदन को निम्न कारणों से अस्वीकार्य (Reject) किया जाता है।

आवेदन **अस्वीकार्य** (Reject) **किये जाने का कारण** .....

.....

.....

हस्ताक्षर .....

नाम .....

संस्था का नाम .....

पदनाम .....

हस्ताक्षर .....

नाम .....

संस्था का नाम .....

पदनाम .....

परिशिष्ट–दो

स्पेशल एजुकेटर (उच्च प्राथमिक) का आवेदन पत्र

सीधी भर्ती 2026

आवेदित पद का नाम		अभ्यर्थी पासपोर्ट साईज़ स्व हस्ताक्षरित नवीनतम फोटोग्राफ चस्पा करें
आवेदन जमा करने का माध्यम	व्यक्तिगत / पंजीकृत डाक से (✓चिन्ह लगाएँ)	
आवेदन जमा करने का पता	कार्यालय संभागीय संयुक्त संचालक, शिक्षा संभाग	
आधार नंबर		

अभ्यर्थी का व्यक्तिगत विवरण –

1	अभ्यर्थी का पूरा नाम (हिन्दी में)	
2	अभ्यर्थी का नाम (अंग्रेजी केपिटल लेटर में)	
3	पिता / पति का नाम (✓चिन्ह लगाएँ)	
4	जन्मतिथि–(जन्म प्रमाण पत्र अथवा हाई स्कूल अंकसूची अनुसार)	/ /
5	01 जनवरी 2026 को आयु–	वर्ष.....माह.....दिन.....
6	लिंग–(✓चिन्ह लगाएँ)	महिला / पुरुष / अन्य
7	जाति वर्ग–(अजा/अजजा/अपिव/अनारक्षित)	
8	स्थायी जाति प्रमाण पत्र क्रमांक– जारी दिनांक–	क्रमांक/ ..... जारी दिनांक .....
9	आय प्रमाण पत्र (अन्य.पि.व. नॉनक्रीमीलेयर हेतु)	क्रमांक/ ..... जारी दिनांक .....

10	बेंचमार्क दिव्यांगता–हॉ / नहीं यदि हॉ तो–	प्रकार..... प्रमाण पत्र क्रमांक ..... जारी दिनांक.....
11	निवास प्रमाण पत्र क्रमांक– जारी दिनांक–	क्रमांक / ..... जारी दिनांक .....
12	स्थायी पता	ग्राम / नगर.....तहसील..... ..... जिला.....राज्य .... पिन कोड .....
13	वर्तमान पत्र व्यवहार का पता	ग्राम / नगर.....तहसील..... जिला.....राज्य .... पिन कोड .....
14	अनापत्ति प्रमाण पत्र (शासकीय सेवारत अभ्यर्थियों हेतु नियुक्तिकर्ता प्राधिकारी द्वारा जारी)	क्रमांक– दिनांक– / /
	नियोक्ता विभाग का नाम – कार्यरत पदनाम –	....

अभ्यर्थी के शैक्षणिक / व्यावसायिक अर्हताओं का विवरण :–

15	**हॉयर सेकण्डरी स्कूल सर्टिफिकेट परीक्षा**		बोर्ड का नाम		
	उत्तीर्ण वर्ष	पूर्णांक	प्राप्तांक	प्रतिशत्	अंकसूची जारी दिनांक

16	**स्नातक परीक्षा प्रमाण पत्र का विवरण निम्नानुसार है :–**				
	संस्था/विश्वविद्यालय का नाम –				
	उत्तीर्ण वर्ष	पूर्णांक (सभी सेमेस्टर/वार्षिक परीक्षा का एग्रीगेट योग)	प्राप्तांक (सभी सेमेस्टर/वार्षिक परीक्षा का एग्रीगेट योग)	प्रतिशत्	अंकसूची जारी दिनांक
17	**बी.एड. स्पेशल एजुकेशन डिग्री का विवरण निम्नानुसार है :–**				
	संस्था/विश्वविद्यालय का नाम –				
	डिग्री का पूरा नाम :–				
	उत्तीर्ण वर्ष	पूर्णांक (सभी सेमेस्टर/वार्षिक परीक्षा का एग्रीगेट योग)	प्राप्तांक (सभी सेमेस्टर/वार्षिक परीक्षा का एग्रीगेट योग)	प्रतिशत्	अंकसूची जारी दिनांक
18	**भारतीय पुनर्वास परिषद् में पंजीयन की जानकारी निम्नानुसार है :–**				
	Registered Rehabitilation Qualification (plz give details as certificate) :-				
	CRR Number	Date Of Registration	Validity Date	Certificate issue or print date	
18	टी.ई.टी. (उच्च प्राथमिक स्तर) उत्तीर्ण प्रमाण पत्र				
	उत्तीर्ण वर्ष	प्रमाण पत्र जारी दिनांक	रोल नंबर	अध्यापन स्तर की पात्रता	
19	अभ्यर्थी का मोबाईल नम्बर				

संलग्न अभिलेखों की सूची (✓ चिन्ह लगाएँ) :–

a) हाईस्कूल परीक्षा प्रमाण पत्र

b) हायर सेकेण्डरी परीक्षा की अंकसूची

c) स्नातक परीक्षा की अंकसूची
d) बी.एड. स्पेशल एजुकेशन/समकक्ष की अंकसूची
e) टी.ई.टी. (उच्च प्राथमिक स्तर) उत्तीर्ण प्रमाण पत्र
f) भारतीय पुनर्वास परिषद, नई दिल्ली का जीवित पंजीयन प्रमाण पत्र
g) जाति प्रमाण पत्र (लागू होने पर)
h) छ.ग.स्थानीय निवास प्रमाण पत्र
i) अन्य पिछड़ा वर्ग के गैर क्रीमीलेयर के अभ्यर्थियों हेतु आय प्रमाण पत्र
j) दिव्यांगता प्रमाण पत्र (लागू होने पर)
k) आधार की छायाप्रति

स्वघोषणा पत्र

मेरे द्वारा दी गई उपरोक्त सभी जानकारी एवं संलग्न स्वप्रमाणित दस्तावेज पूर्णतः सही एवं सत्य है। उपरोक्त विवरण में किसी भी प्रकार की विसंगती अथवा गलती पाये जाने पर मेरा/मेरी आवेदन/अभ्यर्थिता निरस्त की जा सकती है।

दिनांक– .....
स्थान– .....

आवेदक का हस्ताक्षर
नाम.....

आवेदन सत्यापनकर्ता की अभिस्वीकृति
(केवल कार्यालयीन उपयोग हेतु आवेदकों के लिये प्रविष्टी निषेध)

(1) स्पेशल एजुकेटर (उच्च प्राथमिक) पद के लिये अभ्यर्थी द्वारा प्रस्तुत अभिलेखों का मिलान एवं परीक्षण किया गया, जिसमें उनके आवेदन पत्र स्वीकार्य (Accept) करने योग्य पाया गया है।

(2) स्पेशल एजुकेटर (उच्च प्राथमिक) पद के लिये अभ्यर्थी द्वारा प्रस्तुत अभिलेखों का मिलान एवं परीक्षण किया गया, जिसमें उनके आवेदन को निम्न कारणों से अस्वीकार्य (Reject) किया जाता है।

आवेदन **अस्वीकार्य** (Reject) **किये जाने का कारण** .....
.....
.....

हस्ताक्षर .....
नाम .....
संस्था का नाम .....
पदनाम .....

हस्ताक्षर .....
नाम .....
संस्था का नाम .....
पदनाम .....